

उत्तरांचल शासन  
वित्त विभाग

सं ५९०/ XXVII(8)/ वाणिज्य कर (वैट)/2006  
दिनांक: देहरादून: जुलाई ०३, २००६

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या १ वर्ष 1904) (यथा उत्तरांचल राज्य में प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या २७ वर्ष 2005) की धारा ४ की उपधारा (४) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II (ख) में निम्न लिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्रम संख्या 118 की वर्तमान प्रविष्टि के रथान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्—

“११८. इस्तेभाल किये गये मोटर वाहन जो अधिनियम के अधीन जारी किसी अन्य अधिसूचना द्वारा आच्छादित नहीं है।”

आज्ञा से

(इन्दु कुमार पाण्डे)  
प्रमुख सचिव वित्त

१८३८ सं ५९०/ XXVII(8)/ वाणिज्य कर (वैट)/2006 तददिनांक

०६-२-०६ प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

१- कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तरांचल, देहरादून को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त अधिकारियों को तुरंत इस अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

२- निर्देशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उत्तरांचल गजट में प्रकाशित करके इसकी २५०-२५० प्रतियां शासन को तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

प्रमुख सचिव वित्त

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 590/XXVII(8)/ VanijyaKar(VAT)/ 2006 dated July, 03, 2006 for general information.

**UTTARANCHAL SHASAN**  
**VITTA VIBHAG**  
**NO. 590/XXVII(8)/ VanijyaKar(VAT)/2006**  
**DATED: DEHRADUN : July, 03 , 2006**  
**NOTIFICATION**

Whereas the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, Therefore, In exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act No.27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttaranchal), the Governor is pleased to allow to make with effect from the date of publication of this Notification, the following amendment in schedule II (B) of Uttaranchal Value Adde Tax Act, 2005-

For the existing entry at Sl.No. 118 the following entry shall be substituted, namely,

"118. Used motor vehicle not covered by any other Notification under the Act."

By Order,

  
(INDU KUMAR PANDEY)

PRINCIPAL SECRETARY FINANCE